IJAER/Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारत में बढ़ते बाल अपराधों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 नरेन्द्र सिंह धारियाल

असिस्टैण्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

एल0एस0एम0रा0स्ना0 महाविद्यालय

पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बाल अपराध को दिल्ली गैंगरेप से शुरू किया है। बाल अपराधीः कच्ची उम्र के खतरनाक दरिंदे उम्र में ये मासूम हैं, पर इनके जुर्म दिल को दहलाने वाले होते है। दिल्ली गैंपरेप 2014 ने बाल–न्याय व्यवस्था पर बहस छेड़ दी उसे सबसे पहले फांसी लगनी चाहिए। भारतीय कानून को बाल अपराधी की उम्र को देखते हुए उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए. उसने जो क्रूरता दिखाई है, वह किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता. मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि वही सबसे ज्यादा अतयाचारी था. अगर उसने उसके अंदरूनी अंगों को चोट न पहुंचाई होती तो वह बच सकती थी.'' यह कहना है दिल्ली गैंगरेप की शिकार 23 वर्ष की लड़की के पिता का उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अपने गांव से फोन पर बोलते हुए उनका गला रुंध जाता है. जिस लड़के ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और लोहे की रॉड उसके शरीर में डालकर उसकी आंत बाहर खींच ली, उसकी उम्र 18 साल से पांच महीना कम बताई जाती है।[1]

हालांकि 16 दिसंबर की रात को बस में बैठाने के लिए उसने लड़की को दीदी कहकर बुलाया था. बाद में उसने जो दरिंदगी दिखाई, उसे बयान भी नहीं किया जा सकता. इतने घोर अपराध के बावजूद वह सुधार गृह में तीन साल बिताने के बाद आजाद हो सकता है. जिस समय उसके पांच अन्य साथी तिहाड़ जेल में हर रोज बाकी कैदियों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, वह दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराकर आराम से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है.

दक्षिण दिल्ली स्थित हकः सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के काउंसलर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड–2 की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल के आदेश पर गैंगरेप के इस आरोपी को अपनी सेवाऐं दे रहे हैं. मजनूं का टीला में बंद सात किशोरों में से सिर्फ इसी को काउंसिल सुविधा उपलब्ध है।[2]

बलात्कार की शिकार लड़की के पिता गुस्से में तेज आवाज में पूछते हैं, ''क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि 17 साल की उम्र में अगर वह इतनी दरिंदगी कर सकता है तो बड़ा होने पर कितना खूंखार होगा?'' इस दुख में वे अकेले नहीं हैं. जुवेनाइल जस्टिस (बाल संरक्षण) कानून, 2000 के कारण निराश दूसरे माता–पिता भी इसी तरह की शिकायत करते हैं

पटना के 41 वर्षीय राजेश कुमार को ही लें, जब वे अपहरण का शिकार हुए अपने आठ साल के इकलौते बेटे सत्यम के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए अपने आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो जाता है और उनकी पत्नी राखी सिसकने लगती हैं. मई, 2009 को 15 साल के दो लड़कों ने उनके नन्हें बच्चे के साथ यौनाचार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। उनका पुत्र सत्यम जब दर्द से चिल्लाने लगा तो उन लड़कों ने गला घोंटकर उसे मार डाला. फिर उसका शव पॉलीथीन के झोले में भरकर फोन पर राजेश से फिरौती मांगी. उन लड़कों को 30 मई को गिरफ्तार कर लिया गया. वे दोनों सुधार गृह में अधिकतम तीन साल की सजा काटने के बाद अब आजाद घूम रहे हैं। इस अपराध ने राजेश और राखी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है. राजेश कहते हैं, ''इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से खराब और क्या हो सकता है? उन्होंने बड़ी बेरहमी से मेरे मासूम बेटे की हत्या कर दी और सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद फिर से आजाद घूम रहे हैं. यह कैसी न्याय व्यवस्था है, जिसमें पीड़ित को तकलीफ भुगतनी पड़ती है और अपराधी को आजाद छोड़ दिया जाता है? क्या आप इसे न्याय कहेंगे? वे दोनों हत्यारे पटना में आराम से घूमते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें न देखूं. यह मेरे सीने में किसी नश्तर की तरह चुभता है.''[3]

जुवेनाइल जस्टिस (जे.जे.) कानून अपराध करने वाले किशोर के मानवीय उपचार पर जोर देता है। यह कानून किशोर के अपराध को अपराध तो मानता है लेकिन उसे सुधारने के लिए एक और मौका देता है. पटना हाइकोर्ट में वकील संजीव कुमार पूछते हैं, ''यह वैसे तो ठीक मालूम होता है लेकिन उसे फिर अपराध करने से रोकने की बात कहां है?''

इसमें कथित सुधार तो आम तौर पर बाल अपराधों से भी बदतर होता है। आज भारत के 815 बाल सुधार गृहों में उसकी क्षमता से अधिक अपराधी बच्चे भरे हुए हैं, जहां पूरी सुविधाएं भी नहीं हैं और पेशेवर ढंग से काम करने वाले योग्य लोगों की भारी कमी है। इस समय 17 लाख आरोपी किशोर हैं, जिन्हें लगातार परामर्श की जरूरत है. ज्यादातर सुधार गृहों में तो परामर्शदाता भी नहीं हैं. इनके कर्मचारी किशोर अपराधियों से बेहद डरे हुए रहते हैं वे कभी–कभार ही परामर्श का सामूहिक सेशन लेते हैं, जहां अप्रशिक्षित समाजशास्त्री परामर्श देने का काम करते हैं।

इन सुधार गृहों में बच्चे आगे चलकर आम तौर पर गिरोह बना लेते हैं और कोई पाबंदी न होने से सेलफोन छीनने और छोटी–मोटी चोरियां करने जैसे छोटे अपराधों से शुरू करके हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने लगते हैं. 2011 के शुरू में दिल्ली का कुख्यात ''लूटो और आग लगाओ' गैंग ऐसे ही किशोरों का गिरोह था, जो किंग्सवे कैंप के सेवा कुटीर सुधार गृह के लड़कों ने मिलकर बनाया था। सुधार गृह से भागे एक लड़के की अगुवाई में यह गिरोह सरोजिनी नगर और लक्ष्मीबाई नगर जैसी सरकारी कॉलोनियों और आसपास के इलाकों में वारदातों को अंजाम देता था वे घरों में घुसकर चोरियां करते और फिर उसे आग के हवाले कर देते थे, ताकि सारे सबूत मिट जाएं. गिरोह के सरगना को पहले कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था और वह भी कम–से–कम तीन बार सुधार गृह से भाग चुका था। अब 18 साल की उम्र पार करने के बाद वह तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी है।[4]

जे.जे. एक्ट पुलिस को यह अधिकार देता है कि किशोर के कथित अपराध की सजा अगर सात साल से कम हो तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज न करे। इससे वह किशोर हत्या, हत्या की कोशिश और बलात्कार को छोड़कर

हर तरह का अपराध करने के लिए आजाद है। पुलिस छोटे–मोटे अपराध के मामलों में उनके खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज नहीं करती है जिससे वे बड़ा अपराध करने की हिम्मत करने लगते हैं।

नतीजा यह होता है कि ये किशोर अपराध के चक्र में फंसकर रह जाते हैं। जैसा कि गैंग रेप के किशोर आरोपी के मामले में देखा जा सकता है। अपने छह भाई–बहनों में सबसे बड़ा वह लड़का 11 साल पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अपना कच्चा घर छोड़कर चला गया था। उसके पिता मानसिक रूप से बीमार और उसका परिवार गांव में सबसे गरीब परिवारों में से एक है। गैंग रेप की शिकार लड़की और उसके दोस्त को सड़क पर फेंकने के बाद उस लड़के ने इत्मीनान से चाय बनाई और अन्य आरोपी अक्षय ठाकुर के साथ बस की सफाई की। फिर उसने रविदास कॉलोनी में ठाकुर के घर पर टीवी देखते हुए रात गुजारी. उसके लिए जैसे हर रोज की तरह आम दिन था।

उसके साथ काम करने वाले काउंसलरों का कहना है कि उसमें खास तरह की मनोविकृति दिखाई देती है। इस तरह के लोगों को समझना सबसे मुश्किल काम होता है, दिल्ली स्थित क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ। रजत मित्रा कहते हैं, ''करीब 30–35 फीसदी बाल अपराधी मनोविकृति के शिकार होते हैं, जिनमें 10 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं। वे जानते हैं कि किस तरह शिकार को जाल में फंसाया जाए, यहां तक कि वे काउंसलरों तक को झांसा देने की कोशिश करते हैं कि वे सुधर चुके हैं। ऐसे पेशेवर बाल अपराधियों से हमारे देश के समाज और राष्ट्र को बचाना अत्यन्त ही आवश्यक है इसके लिए आज की सरकारों को कठिन से कठिन कानून बनाने चाहिये।[5]

बहुत से मामलों में अपराध के कारण किशोर का साहस और बढ़ जाता है, खासकर जब वह पकड़ा जाता है, किशोर अपराधियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है, एक पुलिस अधिकारी कहते हैं, ''मैंने किशोरों को यह कहते हुए सुना है कि किस तरह उन्होंने पीड़ित के हाथ पकड़े और वह आधी बेहोशी की हालत में छटपटाता रहा, यहाँ ऐसा लगता है उन्हें हत्या करने में मजा आता है।''

संभव है कि दल्ली के गैंग रेप के किशोर बलात्कारी को पीड़ित लड़की के दर्द से कराहने पर मजा आता रहा हो, अगर वह सचमुच में मनोरोगी है तो वह 20 साल की उम्र में छुटने के बाद भी अपराध कर सकता है, जुवेनाइल जस्टिस लॉ, जो उसे जल्दी ही आजाद होने की छूट देता है और जिसके अपराध के रिकॉर्ड को भी मिटा देने के लिए कहता है, उसमें निश्चित ही संशोधन किए जाने की जरूरत आज है, अब समय आ गया है कि नया बाल कानून बनाया जाए, जिसमें सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाए, समाज और सरकार खूंखार अपराधियों के आजाद घूमने का जोखिम नहीं उठा सकती, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो, 17 साल के दिल्ली के इस बलात्कारी की घिनौनी हरकत में बच्चों जैसी कोई बात नहीं है, फिर उसकी दरिंदगी के लिए कानून उसे माफ क्यों करे, साथ में रोहित परिहार हक संस्था की भारती अली इसी तरह के एक किशोर के बारे में बताती है, जिसे बार–बार अपराध करने के बाद लाया गया था, पहली बार उसे हत्या की कोशिश के मामले में लाया गया और उसे सजा सुनाई गई, जब वह सुधार गृह में सजा काट रहा था, तो उसने हंगामा करने और खिड़कियों के शीशे तोड़ने के बाद भागने की कोशिश की। अली कहती हैं, ''वह कुछ ही दिनों में 18 वर्ष का होने

वाला था और वहां से उसे तिहाड़ भेज दिया गया'', अली के मुताबकि ''वह लड़का देखने में बहुत आकर्षक था और बॉलीबुड के हीरो की तरह दिखता था।''[6]

आज बाल अपराध समाज के सिर्फ गरीब तबके तक ही सीमित नहीं हैं, मार्च, 2012 में हरियाणा के एक विधायक के किशोर उम्र के पौत्र पर छह वयस्क लोगों के साथ मिलकर जयपुर एमिटी यूनिवर्सिटी में बीटेक के तीसरे वर्ष के छात्र प्रशांत वीर की हत्या का आरोप लगा था, हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना चाहता था, लेकिन आरोपी के परिवार ने उसके लिए जमानत हासिल कर ली।

उम्र की सीमाऐं धुंधली पड़ गई हैं, इसकी वजह से किशोर अपराधी जे.जे. एक्ट का लाभ उठा लेते हैं, पटना में बाल अपराध के मामलें से जुड़े वकील मानते हैं कि इस कानून में उम्र की सीमा का सबसे ज्यादा दुरूयोग किया जाता है क्योंकि किशोर अपराधी इसी सीमा का फायदा उठाकर कड़ी सजा से बच जाते हैं। आज देश भर में इसका लाभ उठाया जा रहा है, इसीलिए कानून विशेषज्ञों, मनोविज्ञानिकों और कानून लागू करने वालों की ओर से किशोर अपराधी की उम्र की सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन बाल अधिकारों की लॉबी इसके खिलाफ है।

पूर्व डी.जी.पी. और प्रयास नाम के एन.जी.ओ. के संस्थापक आमोद कंठ बाल अपराधियों और उपेक्षित बच्चों के साथ कम करते हैं, वे कहते है कि कुछ अपवादों के कारण कानून नहीं बदला जाना चाहिए, जे.जे. एक्ट की रूपरेखा तैयार करने वालों में शामिल रहे आमोद कंठ कहते है कि कानून में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया था और तब दुनिया भर के नियमों को देखते हुए किशोर अपराध के लिए उम्र सीमा 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी, अब दोबारा उसे घटाकर 16 साल करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों के कन्वेंशन (यूएनसीआरसी), बीजिंग रूल्स और रियाद गाइडलाइंस जैसे तीन अंतरराष्ट्रीय समझोतों पर हस्ताक्षर कर चुका है।

इसके अलावा भारत में वयस्क की उम्र 18 साल मानी गई है, इस उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति वोट देने, विवाह करने और वाहन चलाने की योग्यता नहीं रखता है, कंठ कहते है कि उम्र सीमा कम करना कोई हल नहीं है, इसका हल जे.जे. कानून को सही ढंग से लागू करने में निहित है।

तिहाड़ समेत देश के तमाम जेलों में हजारों नाबालिग बच्चे बंद हैं। बेशक सरकार ने 18 साल से कम उम्र के अपराधियों की जगह सुधार गृह में तय की है, लेकिन सही उम्र की जानकारी नहीं होने और आसानी से छूटने की लालच में ये सुधार गृह की जगह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग ने कुबूल किया है कि तिहाड़ समेत देश के तमाम जेलों में हजारों नाबालिग बच्चे बंद हैं। अकेले दिल्ली में 2600 बच्चों के जेलों में बंद होने की आशंका जताई गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में बाल आयोग ने तिहाड़ में वर्ष 2016 से 2019 के बीच 298 नाबालिग बच्चों के बंद होने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई इसी माह मार्च 2020 में होनी है। आयोग का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में बाल अपराधी जेलों में बंद हैं। आयोग इन बच्चों को आधार नंबर देकर आयु प्रमाण पत्र देना चाहता है। इस संदर्भ में यूआईडी प्राधिकरण और राज्य सरकारें तैयार हैं।[7]

हालांकि देशभर की जेलों में बंद नाबालिगों की संख्या का सही आंकलन नहीं हो सका है, लेकिन उनकी संख्या हजारों में हो सकती है। बाल आयोग की चेयरपर्सन कुशल सिंह ने बताया कि ऐसे बच्चों को आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए यू.आई.डी. प्राधिक रण सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि खौफनाक अपराधियों के साथ जेलों में बंद नाबालिगों के संबंध में बाल आयोग ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग की मदद ली जा रही है।

कुशल सिंह ने बताया कि कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिनमें जल्द जमानत दिलाने के लिए वकील की ओर से नाबालिगों की अधिक उम्र दर्ज कराने की सलाह दी गई थी। साथ ही पुलिस के असंवेदनशील और गैरजिम्मेदराना रवैये के कारण भी तिहाड़ में किशोर सड़ रहे हैं। कुशल सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले साल जून में आयोग की एक टीम ने तिहाड़ का दौरा करने पर यह पाया कि जेल में सजा काट रहे सैकड़ों ऐसे कैदी हैं जो देखने में 18 वर्ष से कम आयु के लगते हैं, लेकिन उनकी उम्र 18 से ऊपर दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि नाबालिग अपराधियों को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट कहा था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) का अर्थ 'मूकदर्शक' नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा, देश में सभी जेजेबी को किशोर न्याय (बच्चे की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिए प्रावधानों के 'अक्षरशः भावना' का हर हाल में पालन करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून का 'कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता, कम से कम पुलिस तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती।'

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह बात अनाथालयों में बच्चों के कथित शोषण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान तब कही, जब ऐसी दो घटनाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश व दिल्ली में बच्चों को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में रखकर 'टार्चर' करने के कई आरोप हालिया दिनों में मीडिया के जरिये सामने आने की तरफ पीठ का ध्यान दिलाया गया।

पीठ ने कहा, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि कथित तौर पर कानून से छेड़छाड़ करने वाले बच्चे को पुलिस हिरासत या जेल में नहीं रखा जाएगा। एक बच्चे को जेजेबी के सामने पेश किया जाते ही तत्काल जमानत दिए जाने का नियम है। पीठ ने कहा, यदि जमानत नहीं दी जाती है, तो भी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे निगरानी गृह या सुरक्षित स्थान पर रखना होगा।

पीठ ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जेजेबी का गठन मूकदर्शक बने रहने और मामला अपने पास आने पर ही आदेश पारित करने के लिए नहीं किया गया है। पीठ ने आगे कहा कि जेजेबी के संज्ञान में यदि किसी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में बंद करने की बात आती है, तो वह उस पर कदम उठा सकता है।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी इस आदेश की एक प्रति सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया ताकि हर हाईकोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह आदेश मिल सके। साथ ही यह भी आदेश दिया कि सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए इसकी एक प्रति हर जिला स्तरीय जेजेबी को भी भेजी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग और दिल्ली बाल अधिकार सरंक्षण आयोग को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने नोटिस में दोनों से इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही केंद्र सरकार व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के अंदर एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च, 2019 को होगी।

आज भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतन्त्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। सन् 2000 के ऑकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षों में उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वही बढ़कर सन् 1998 में 1.0 प्रतिशत थी इसके पश्चात् सन 1999–2000 में 0.9 प्रतिशत रही। बालकों द्वारा किये गये अपराधों में से भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे। सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्य प्रदेश में 2,681 और महाराष्ट्र में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी। राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 2015 और 2016 के बीच भारत में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 11 फीसदी की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में बच्चों के खिलाफ अपराध में 12,786 मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बच्चों के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 2015 में जहाँ 94172 था, वहीं 2016 में यह आंकड़ा 106958 तक पहुंच गया। हालांकि, एक गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट ऐड यू (सीआरवाई) के मुताबिक यह एक चौकाने वाला आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दशक 2006 में 18,967 और 2016 में 1,065 958 की अवधि में 500 फीसदी से ज्यादा की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यह एक स्थिर वृद्धि दर को दर्शाता है।[8]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, ए0एन0, 'अपराधी कल्याण के विविध आयाम', आराधना ब्रदर्श, 1966, पृ0 08

2. बघेल, डी0एस0, 'अपराध शास्त्र', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, 2001, पृ0189

3. सरपाल, एल0के0, 'इज चाइल्ड अब्युज लीड टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ऑर क्राइम? ए क्रिएटिव इक्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर', इण्डियन जनरल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस', द इण्डियन जनरल ऑफ क्रिमिनालॉजी एण्ड क्रिमिनलिस्टक्स, अंक 12–3, 1881,पृ0 55

4. शुक्ला, के.एस. और पी0डी0 मालवीय, 'जुवेनाइल जस्टिस पोलिस यूनिट', पोलिस रिसर्च व डेवलपमेंट जनरल, अंक 4, 1972, पृ0 88

5. चटर्जी, सी0एच0 और देशमुख, एस0एम0, 'अ स्टडी ऑफ फैमली बैक ग्राउंड ऑफ जुवेनाइल एण्ड रीजन फार देयर एडमिशन टू रिमाण्ड होम', इण्डियन जनरल आम्फ कम्युनिटी मेडीसिन, अंक 24, सं0 2, अप्रैल–जून, 1999, पृ0 99

6. हरनाथ, एस0 और देवी प्रसाद, 'जुवेनाइल होम इनमेटः बैक ग्राउण्ड कैरक्टरिस्टिक्स', इण्डियन जनरल ऑफ सोशल वर्क, 56, 3, 1995, पृ0 124

7. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार, 'अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र तथा सामाजिक विघटन', एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2004 पृ0 102

8. लवानिया, एम0एस0 व जैन, शशि के0, 'अपराधशास्त्र', रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1986–87, पृ0 22